



अभारत का  
अग्रतः अर्थोत्थरण

केन्द्रीय भण्डारण निगम  
(भारत सरकार का उपक्रम)  
CENTRAL WAREHOUSING CORPORATION  
(A Govt. of India Undertaking)

“जन-जन के लिये भण्डारण” – “Warehousing for Everyone”



No. CWC CO-TD0INSP/616/2022-24/

Date: 10.04.2024

Regional Managers,  
Regional Office,  
Ahmedabad/ Bangaluru/ Bhopal/ Chandigarh/ Chennai/ Delhi/ Guwahati/  
Hyderabad/ Jaipur/ Kochi/ Kolkata/ Lucknow/ Mumbai/ Patna.

**Subject: Submission of ATR of General Inspection through SeFS to  
Inspection Division- Uniformity in Format.**

**Madam/Sir,**

In order to bring uniformity amongst all Regions in submission of ATR through SeFS for the General Inspections, the ATR may please be forwarded by Regional Offices in the given format hereafter:

Sr. No.	Gist of discrepancy *	Gist of compliance submitted by Warehouse Manager	Comments/action taken by/ at RO	Status of discrepancy (Close/Open)	Remarks if any**
1	2	3	4	5	6

\*Whole discrepancy is not required to be repeated and only the gist to be given.

\*\*In case of any additional information (not covered in column 2 to 5), the same may please be provided under this column.

It is thus requested to forward the SeFS related to submission of ATR/compliance for General Inspection to Corporate Office as per the above format for all the inspection to be conducted in FY 24-25 and also for the pending ATRs of last fiscal year as well. Further, all correspondence be sent to [hod.inspection@cewacor.nic.in](mailto:hod.inspection@cewacor.nic.in).

The co-operation of ROs on this would help in better, effective and efficient monitoring of CAR, ATR and subsequent follow up actions.

Yours faithfully,

HOD (INSPECTION)

Copy to: PPS to Direction (Pers.), CWC, CO, New Delhi for information please.



केन्द्रीय भण्डारण निगम  
(भारत सरकार का उपक्रम)  
CENTRAL WAREHOUSING CORPORATION  
(A Govt. of India Undertaking)  
“ जन-जन के लिये भण्डारण ” – “ Warehousing for Everyone ”



सं. CWC CO-TD0INSP/616/2020-TECH

दिनांक: 10.04.2024

क्षेत्रीय प्रबंधक,  
क्षेत्रीय कार्यालय,  
अहमदाबाद/बेंगलुरु/भोपाल/चंडीगढ़/चेन्नई/दिल्ली/गुवाहाटी/हैदराबाद/जयपुर/कोच्चि/कोलकाता/लखनऊ/  
मुंबई/पटना।

**विषय: - सामान्य निरीक्षण की एटीआर को एसईएफएस के माध्यम से निरीक्षण प्रभाग को प्रस्तुत करने (प्रारूप में एकरूपता) के संबंध में।**

महोदय/महोदया,

सामान्य निरीक्षण के लिए एसईएफएस के माध्यम से एटीआर प्रस्तुत करने में सभी क्षेत्रों के बीच एकरूपता लाने के लिए, एटीआर को नीचे दिए गए प्रारूप में क्षेत्रीय कार्यालयों द्वारा अग्रेषित किया जा सकता है:

क्रमांक	विसंगति का सार*	वेयरहाउस प्रबंधक द्वारा प्रस्तुत अनुपालन का सार	क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा/में की गई टिप्पणियाँ/कार्रवाई	विसंगति की स्थिति (Close/Open)	टिप्पणी, यदि कोई **
1	2	3	4	5	6

\* पूरी विसंगति को दोहराने की आवश्यकता नहीं है, केवल सारांश देना है।

\*\* किसी भी अतिरिक्त जानकारी (कॉलम 2 से 5 में शामिल नहीं) के मामले में, कृपया उसे टिप्पणी कॉलम में प्रदान किया जाए।

इस प्रकार यह अनुरोध किया जाता है कि, वित्तीय वर्ष 24-25 में किए जाने वाले सभी निरीक्षणों और पिछले वित्तीय वर्ष के लंबित एटीआर के लिए उपरोक्त प्रारूप के अनुसार सामान्य निरीक्षण के लिए एटीआर/अनुपालन प्रस्तुत करने से संबंधित एसईएफएस को निगमित कार्यालय को अग्रेषित किया जाए।। इसके अलावा, सभी पत्राचार [hod.inspection@cewacor.nic.in](mailto:hod.inspection@cewacor.nic.in) पर भेजे जाएं।

इस पर क्षेत्रीय कार्यालयों के सहयोग से सीएआर, एटीआर और उसके बाद की अनुवर्ती कार्रवाइयों की बेहतर, प्रभावी और कुशल निगरानी में मदद मिलेगी।

**विभागाध्यक्ष (निरीक्षण)**

प्रति:- निदेशक (कार्मिक) के प्रधान निजी सचिव..... कृपया जानकारी के लिए।